सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 25, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 15, 2026

Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2025

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25(4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-2483 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदितपथिक भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 16 गिरनार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 74 क्षेत्रफल 483.73वर्गगज, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 28-06-2024 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>उपान्तरण</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 16 गिरनार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 74 क्षेत्रफल 483.73 वर्गगज में से सडक मार्गाधिकार हेतु 3.0 मीटर गहराई तक की भूमि क्षेत्रफल 68.11 वर्गगज निःशुल्क समर्पण पश्चात् शेष भूमि 415.62 वर्गगज जिसका भू.उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया हैए का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 23.12.2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।